हरियाणा विधान सभा सचिवालय

दिनांक: 18.12.2023,
के लिए स्वीकृत

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15

ध्यानाकर्षण सूचना **संख्या** 15 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक नवम्बर 2023 में प्रदेश के यमुनानगर और अम्बाला जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अभी हाल ही नवम्बर 2023 में प्रदेश के यमुनानगर अंबाला जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत हुई हैं। गत वर्षों में भी सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद सहित कई जिलों में भी जहरीली और नकली शराब पीने के कारण सैकड़ों मौते हुई थी। प्रदेश में अवैध नकली शराब के धंधे पर अंकुश न लगाने की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब घोटाले के बाद विभिन्न जिलों में शराब गोदामों की चैकिंग की गई तो 75250 पेटी शराब कम पाई गई जिससे स्पष्ट है कि शराब का अवैध कारोबार निरंकुश तौर पर जारी है जो कि सत्ता में बैठे राजनेताओं / अधिकारियों के सरक्षंण एवं संलिप्तता के बिना सम्भव नहीं हो सकता। प्रदेश में खासतौर पर करनाल, यमुनानगर पानीपत सोनीपत, जीद सिरसा, हिसार फरीदाबाद आदि जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार धडल्ले से अभी भी चल रहा है। लॉक्डाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा एसईटी गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट आज तक भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अत: सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 के द्वारा, श्री बलराज कुंडू विधायक हरियाणा के यमुनानगर/अम्बाला में जहरीली शराब का सेवन करने से लगभग 20 से अधिक लोगों की मौत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में शराब माफियाओं का जबरदस्त जाल फैला हुआ है खुलेआम अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है सम्बंधित विभाग की इस जहरीली शराब काण्ड में मिली भगत होने की सम्भावना है हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर /

अम्बाला में इस जहरीली शराब का सेवन करने से लगभग 20 से अधिक लोगों ने अपनी जान गवाई है ये जहरीली शराब खुलेआम सरकारी ठेकों पर बेची जा रही थी। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है. माननीय सदस्य का माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस गंभीर विषय को लेकर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंग्न</u>

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 के द्वारा श्री नीरज शर्मा, विधायक जहरीली शराब से हुई मौत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है। कि हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लगभग 18 लोगों की मौत हुई। इस पर सरकार इस महान सदन को अवगत करवाए कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की और वर्ष 2020 से अब तक जहरीली शराब पीने ने कितने लोगों की मौत हुई तथा जहरीली शराब के संदर्भ मे सरकार ने कोई कमेटी गठित की थी, अगर गठित की थी तो कमेटी नें अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्या बताया और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की।

<u>स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 ध्यानाकर्षण सूचना सख्या 55 में परिवर्तित</u>
<u>स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंग्न</u>

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा श्री बिशन लाल सैनी विधायक, श्री वरूण चैधरी, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री कुलदीप वत्स, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्रीमती रेणु बाला, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्रीमती शैली, विधायक, श्रीमती शकुन्तला खटक विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक, राव दान सिंह, विधायक एवं श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगो की असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की और दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने की कारण लोगों को असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए तथा इस विषय पर सदन में चर्चा करवाने के लिए

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। इस प्रस्ताव के साथ सहित स्पष्टीकरण ज्ञापन सलग्न है। जो निम्नानुसार है।

ज्ञापन पत्र (काम रोको प्रस्ताव)

प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण यमुनानगर में 18 और अम्बाला जिले में 2 लोगों की मृत्यु हुई है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो पीडित परिवार है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश दूध दही के खाने के नाम से जाना जाता था लेकिन आज प्रदेश शराब, चिट्टा, हेरोइन, स्मैक और सिंथेटिक नशे का अड्डा बनकर रह गया है जिसका मुख्य कारण सत्ता में बैठे लोग नशा के कारोबारियों को सरक्षंण देना है और नशा के कारोबारी प्रदेश में खुली लूट मचा रहे है। पुलिस विभाग के सरक्षंण के बिना यह सम्भंव नही हो सकता यही वजह है कि जहरीली शराब के कारण प्रदेश में लोगों की मृत्यु हुई है। जहरीली शराब की अवैध तस्करी के कारण ही शराब तस्करों के आकाओं की तिजौरियां भर रही है और प्रदेश को टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। इतना ही नही कोरोना काल के दौरान ही करोडों रुपये का शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था जिस पर कोई उचित कार्यवाही सरकार द्वारा भरोसा देने के बावजूद भी नही हुई। सरकारी सरंक्षण के बिना शराब की अवैध तस्करी करना बिल्कुल भी संभव नही हैं। नवम्बर 2020 और नंवम्बर 2022 मे भी पानीपत और सोनीपत मे 30 से ज्यादा लोगो को जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गवानी पडी थी। एन.सी.आर.बी. के आंकडे बताते है कि प्रदेश मे नशा इस कदर बढ गया है कि नशे और नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतो के मामले मे हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल को पीछे छोड दिया है। आज के दिन लोगो को अवैध नशे के फलते कारोबार के कारण सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। हम मांग करते है कि इसकी उच्च स्तरिय जांच सी.बी.आई. से करवानी चाहिए ताकि जो लोग इसमे संलिप्त है उनके बारे मे पता लग सके और प्रदेश की जनता को जहरीली शराब से मुक्ति मिल सके।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 44

Clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 15

"Smt. Kiran Choudhry, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great importance that the unabated trade and sale of spurious and Illicit liquor in the State leading to successive hooch tragedies In the year 2020 there were reports of unauthorised sale of liquor from distilleries during lockdown. In the year 2020 about 46 persons had died in Panipat/Sonipat due to consumption of spurious/illicit liquor. In November 2022 four people died in Sonipat/Panipat due to consumption of illicit liquor. The latest tragedy has taken place in November 2023 in Ambala/Yamuna Nagar where about 18 person died due to consumption of spurious liquor supplied by the retail vendors casting its ominous and dark shadow over Diwali celebrations. Such tragedies have been occurring at regular intervals, despite SIT and SET constituted by the State Government at the time of previous incidents. The kingpins of these operations-owners of distilleries, wholesale contractors or senior official are rarely arrested-the Government tending to put the entire blame on small players by netting the small fish. Despite our flagging the concerns the Government has failed to put in place standard operating procedures for affixing of holograms, CCTV Cameras in distilleries and liquor vends. This indicates deep Government nexus warranting a court Monitored CBI probe into the matter This is matter of utmost public import, the same may be taken up for discussion and the Minister concerned may be asked to make a statement on the floor of house as per procedure."

Statement of Shri Sh. Anil Vij, Home Minister, Haryana in reply to the Calling Attention Notice No. 15 clubbed with Calling Attention Notice No. 23,29,55,& 44

Sir,

In the matter relating to death of 22 people due to consumption of spurious liquor, as per report received from Superintendents of Police, Yamunanagar and Ambala, 20 deaths have occurred due to suspected consumption of spurious liquor. Five FIRs have been lodged in this connection and 52 arrest involving 36 persons have been made in these two districts.

Superintendent of Police, Yamuna Nagar has reported that police received an information that a person resident of village Mandebri, Yamuna nagar has been admitted in a hospital due to consumption of suspected spurious liquor. Investigation by police led to the revelation that spurious liquor was sold by an illegal vend operated by one Rocky resident of same village Mandebri. A criminal case was registered by the police and meticulous investigation was carried out. The investigation led to an illegally run factory at village Dhanaura in district Ambala, where spurious liquor was manufactured and distributed. In total five FIRs have been registered in this matter details of which are as under:

1. FIR No. 249 dated 08.11.2023 u/s 302/328/120-B of IPC & Sec. 72-A of the Excise Act at PS Farakpur, Yamuna nagar
2. FIR No. 387 dated 10.11.2023 u/s 302/328/120-B of IPC & Sec 72-A of the Excise Act at PS Chhappar, Yamuna nagar
3. FIR No. 451 dated 11.11.2023 u/s 302/328/120-B of IPC & Sec. 72-A of the Excise Act at PS Bilaspur, Yamuna nagar
4. FIR No. 327 dated 09.11.2023 u/s 304, 328, 120-B (302 IPC & 72A Liquor Act) IPC at PS Barara, Ambala
5. FIR no. 410 dated 09.11.2023 u/s 188, 201, 120B, 272, 308, 328, 420, 468, 471, 473 of IPC and u/s 61 and 63A of Punjab Excise Act, 1914 PS Mulana, Ambala.

Thorough investigation was carried out by both Yamuna nagar and Ambala police,, investigating all forward and backward linkages which led to arrest of 36 accused including the contractors who were the original allottees of vends.

In total, 20 deaths (18 in Yamuna nagar and 2 in Ambala) due to consumption of suspected spurious liquor has been reported which also includes the death of two labourers working at the illegally run liquor factory at Dhanuara, Ambala who also consumed the suspected spurious liquor. Further, 5 persons who fell ill have since been discharged from hospital after treatment. All arrested accused are in judicial custody except one who had also consumed spurious liquor and had died during treatment.

Further, compensation of Rs 32 lakhs has been awarded to families /dependents of 8 deceased so far under DAYALU scheme while the rest are under process.

So far, Police has taken stern action against accused. Meticulous investigation is being carried out in a fair, proper and speedy manner in these cases.

The Department of Excise and Taxation initiated action in form of breach case of 2023-24 of M/s Mahender Singh, L-13 licensee, District Yamunanagar. A penalty of Rs. 2,51,00,000/- was levied vide Order issued by Collector (Excise) vide Endst. No.3801/X-VI, Panchkula dated 20.11.2023 and the L-13 license of the licensee was cancelled vide Order issued by Collector (Excise) vide Endst. No.3853/X-VI, Panchkula dated 22.11.2023. Further, L-2/L-14A Licenses of 11 zones of M/s Mahender Singh in District Yamunanagar were cancelled, as per provisions of Section 37 of the Punjab Excise Act, 1914, by Collector (Excise), Haryana vide Order Endst. No. 3869/X-VI, Panchkula dated 23.11.2023. These 11 zones have been since been reallotted by the Department through e-auction.

Before this incident of the spurious liquor on 07.11.2023, 2193 samples were taken from retail vends across the State during the period 12.06.2023 to 7.11.2023 and after 07.11.2023, a total of 2875 samples have been taken till date. Thus, a total of 5068 samples across the state were taken from Retail Vends since the start of the Excise Policy 2023-24 from 12.06.2023 till date.

The police department has been taking intensive and prompt action at various levels to prevent the illegal and spurious liquor business, the details of which are as follows:-

Year	Number of Case Registered	Number of Persons arrested	Recovery		
			Liquor (in Btl/Ltr)	**English Wine** (in Btl/Ltr)	**Beer** (in Btl/Ltr)
2016	16263	18118	377778	549884	94967.8
2017	14536	15497	922958	761047	73910
2018	11532	12137	862914	702540	36592
2019	10476	10824	907575	923972	48104
2020	11220	13051	676546	567734	57918
2021	10562	11664	397946	355340	31939
2022	13408	13819	535320	320031	54753
2023 (upto 30th Nov)	9898	9733	642237	135932	25046

Note:- Data regarding number of cases registered and number of persons arrested have been taken from C.C.T.N.S portal.

Apart from the above a special campaign against illegal Khurda was run in the state from 11.11.2023 to 14.12.2023 in which 1463 arrests were made total 1466 cases were registered in which desi bottles-43008, English bottles-25419, beer bottles-2057, Lahan -7895 liters and raw liquor-939 were recovered. Under the campaign on 12.12.2023, in FIR number 407 dated 12.12.2023 u/s 61(1)(c), 63A, 72A-4-20 Excise Act & 420, 467, 468, 471, 120B IPC PS Dharuhera, Old Monk Bottle-05, Country Liquor Pavve-13490, Old Monk Liquor Bottle Capping Machine, Bottle 500DS-08, Color Bottle-12 ltrs, One 65 ltrs Drum Caustic Caramel Sprint soluble which when measured was found to be 10 ltrs, Chemical -10 ltrs filled in a drum etc. have been recovered and during the investigation of the case, 13 drums of chemical, one Canter, 306 boxes of liquor, Rs. 20000/- were also recovered.

Regarding the alleged shortfall in the stock of liquor being kept in Godowns in various districts owned by L-1/L-13 to the tune of 75250, it is stated that as part of regular exercise, the department had detected 18 breach cases of L-1 licensees and 17 breach cases of L-13 licensees wherein 9,914 cases and 59,435 cases respectively were found short in the inspections conducted after 07.11.2023. In such cases, where the L-1 and L-13 licensees are found in violation of the provisions of Excise Policy 2023-24 in order to avoid Additional Excise Duty, penalty is imposed by the department on regular basis strictly as per Clause 4.7 (deals with L-13 licensees) and Clause 5.6 (deals with L-1 licensees) of the Excise Policy 2023-24.

Haryana has very few cases of death due to over dose of drugs. In last 5 years, i.e. from 2017-2022, there were 34 deaths due to drugs over dose.

As far as irregularities during the lockdown due to COVID-19 pandemic are concerned, the Government has taken the following steps in this regard:

1. Regarding the Constitution of Special Enquiry Team

It is informed that vide order No. 6/2/2020-2HC dated 11.05.2020 Government constituted Special Enquiry Team (S.E.T) under the Chairmanship of Sh. T.C. Gupta, IAS, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Department of Power, Empowerment, Renewable Energy and Housing to enquire into the matter of theft of liquor from the recovered stock stored in the temporary warehouse at Kharkhoda-Matindoo Road, Sonipat, Haryana.

On 30.07.2020, the Special Enquiry Team (SET) submitted its report to the Government with the recommendations for taking appropriate action against the individuals officer/officials for the lapses mentioned in the report and also suggested/recommended measures for systematic improvements in functioning of Excise Department. Based on this report, necessary actions have been taken/initiated as elaborated in the following paragraphs. Further it was also decided by the Government that the whole matter be got probed by the State Vigilance Bureau.

2. Committees constituted under Additional Director Generals of Police

One committee with Smt. Kala Ramachandran, IPS, ADGP as Chairperson and another with Shri Shrikant Jadhav, IPS, ADGP, as Chairperson were constituted in this regard. Action has been taken against 27 Police Personnel in 14 Cases.

3. Action taken by Excise and Taxation Department.

The department issued a chargesheet on 17.12.2020 to Sh. Dhirender Singh, Excise Inspector against whom FIRs had been registered in district Sonepat in this matter. Further, the department has also issued chargesheets to 7 AETOs under Rule 7 and one AETO under Rule 8 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 who had approved permits during the period from 27.03.2020 to 31.03.2020 when the liquor vends were ordered to be closed due to COVID-19 pandemic lockdown. Furthermore, charge-sheets under Rule 7 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 have also been issued to 15 Excise Inspectors who had approved permit & passes during the period from 27.03.2020 to 31.03.2020 when the liquor vends were ordered to be closed due to COVID-19 pandemic lockdown. The services of Sh. Sunil Kumar, contractual Peon in district Sonepat have been dispensed with. Chargesheets of 13 Excise Inspectors out of 15 have been decided by the competent authority. Appropriate Punishments in all these cases have been imposed which include withholding of two increments with cumulative effect, withholding of 6% pension amount permanently, etc.

Further, the Excise & Taxation department has already taken action on a number of recommendations of SET for systemic improvements. The department has taken steps to plug revenue leakage through illegal sale of liquor. The steps taken are elaborated as under:-

i. To plug the leakage of liquor from the manufactories (i.e. distilleries/bottling plants etc), following steps have been taken:-

   a. A state of the art CCTV Cameras system has been installed in all distilleries and bottling plants in the State alongwith an integrated Control Room at Head Office. The live feed from these cameras is being made available at Head Office as well

as district level. CCTV Cameras have also been made compulsory at the premises of L-1 and L-13 licensees as per provisions of Clause 12.3 of Excise Policy 2023-24. Further, CCTV cameras have also been made mandatory at all urban vends covering the relevant areas including entry, exit, billing counters and in taverns at entry and exit points.

b. Installation of Mass Flow Meters has been made mandatory in the distilleries as well as bottling plants. Necessary amendments in the distillery rules have been made in this regard.

c. Instructions have been issued to ensure that vehicles used for transportation of spirit are GPS enabled and these vehicles must also be locked with e-Locks. It has also been asked to ensure that temper proof seals are affixed on all the outlets of such vehicles carrying spirit. Detailed instructions have been issued in this regard.

d. It is pertinent to point out that affixing of Holograms is already mandatory as per the provisions of Clause 12.1 of the Excise Policy 2023-24. The manufacturers of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor (IMFL) have to affix Hologram before dispatching any consignment of liquor from their premises. In addition, the Department has also launched a QR Code based Track & Trace System, on a pilot basis, in all the distilleries and Bottling Plants in the State from 12.12.2023. The ultimate objective of the project is to affix High Security Holograms on liquor supplies and to trace the movement of Country Liquor (CL) and Indian Made Foreign Liquor (IMFL), which would facilitate in monitoring the entire supply chain.

ii. The department is conducting regular checking of liquor vends to ensure that there is no illegal sale of liquor. To safeguard revenue, stringent penalty provisions have been introduced in the excise policy for the year 2023-24 against such licenses who indulge in illegal sale of liquor.

The prompt and stern action taken by the department against the illegal sale of liquor has led to increase in quota lifting by the liquor licenses and has resulted in increased revenue realization to the Government in shape of excise duty, additional excise duty and permit fee on such liquor quota. In the current Excise Policy Year, 2023-24, excise revenue for the period 12.06.2023 to 20.11.2023 has increased by 22.70% as compared to corresponding period in the previous Excise Policy Year, due to strict implementation of the Excise Policy 2023-24 by the Department.

iii. Point of Sale (POS) machines have been installed in most of the liquor vends for issuing invoice by the licensees so as to further plug illegal sale of liquor. Penal action as provided in the policy is being taken against the remaining licensees to ensure compliance.

iv. The provisions of the Haryana Excise Act, 1914 have been amended to counter the illegal and spurious liquor. The provisions of section 61 have been made more stringent. Further, section 72A introduced vide amendment in March, 2020 provide for death penalty or imprisonment for life in case death is caused by liquor containing noxious drug or foreign ingredient.

Thus, it is not correct to say that Standard Operating Procedures (SOPs) for affixing of Holograms, CCTV Cameras in distilleries and liquor vends have not been put in place. As detailed above, affixing of Holograms is mandatory as per Excise Policy 2023-24, CCTV Cameras are installed in distilleries and bottling plants from where live feed is available in the CCTV Control Room at Head Office and in district offices, CCTV cameras are mandatory at the premises of L-1 & L-13 licensees as per the Excise Policy 2023-24. In fact, the Department is actively implementing new measures, which is evident from the launch of QR Code based track and trace system in all the Distilleries and Bottling Plants in the state.

4. Inquiry by the State Anti Corruption Bureau

The enquiry No. 04 dated 01.09.2020, Panchkula has been registered in the Anti Corruption Bureau, Haryana in compliance with the order of Government conveyed vide the Chief Secretary office memo No. 33/26/2020-3Vig(1) dated 31.08.2020 for conducting

vigilance enquiry to look into the complicity of some of the excise officials as well as the collusion on the part of some of the police officials in huge unauthorised movement of liquor during lockdown and submit report to the Government.

During this state-wide enquiry, ACB has gathered relevant records including the details of cases registered by the police in this matter. Further, ACB has recorded statements of liquor contractors, officers/officials of Excise & Taxation Department, Gazetted/Non-Gazetted officers/officials of police department and persons related to distilleries, Breweries and bottling plants during this enquiry so far to identify the persons involved along with their specific roles in the whole matter..

As per status report of above said enquiry received vide letter no 21042/I-1/ACB(H) Panchkula dated 16.12.2023, ACB has sought some records which are still awaited from the Excise and Taxation and other departments. Once the records are received, the final enquiry report will be submitted.

It has been further intimated by the ACB that several CWPs are also pending in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in this matter.

****

<u>स्वीकृत ध्यानाकर्षण सुचना संख्या 15 के साथ सलग्न 23,29,55,44 का उत्तर</u>

महोदय,

जहरीली शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत के मामले में, पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर और अंबाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से 20 मौतें हुई हैं, इस संबंध में 05 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन दोनों जिलों में कुल 52 गिरफतारिया की गई जिनमे 36 आरोपी शामिल पाए गये हैं।

पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर ने सुचित किया है कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव मंडेबरी, यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति को संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच से पता चला कि नकली शराब उसी गांव मंडेबरी निवासी रॉकी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित एक अवैध खुर्दा से बेची जा रही थी। जिस संबंध मे पुलिस द्वारा एक अपराधिक अभियोग अंकित किया गया] तथा गहनता से जांच की गई। जांच में अंबाला जिले के गांव धनौरा में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, जहां नकली शराब का निर्माण और वितरण किया जा रहा था। इस मामले में कुल मिलाकर 05 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. एफआईआर संख्या 249 दिनांक 08.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और 72-ए आबकारी अधिनियम थाना फरकपुर, यमुनानगर।

2. एफआईआर संख्या 387 दिनांक 10.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और आबकारी अधिनियम 72-ए थाना छप्पर, यमुनानगर।

3. एफआईआर संख्या 451 दिनांक 11.11.2023 धारा 302/328/120-बी आईपीसी और 72-ए आबकारी अधिनियम थाना बिलासपुर, यमुनानगर।

4. एफआईआर संख्या 327 दिनांक 09.11.2023 धारा 304, 302 328, 120-बी आईपीसी और 72ए आबकारी अधिनियम थाना बराड़ा, अंबाला।

5. एफआईआर नं. 410 दिनांक 09.11.2023 धारा 188, 201, 120बी, 272, 308, 328, 420, 468, 471, 473 आईपीसी और 61 और 63ए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 थाना मुलाना, अंबाला।

यमुनानगर और अंबाला पुलिस द्वारा सभी पहलुओ पर गहनता से जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों सहित 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो दुकानों के मूल आवंटनकर्ता थे।

जहरीली शराब के सेवन से कुल 20 मौतें (यमुनानगर में 18 और अंबाला में 2) हुई हैं, जिसमें गांव धनौरा, अंबाला में अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री में काम करने वाले दो श्रमिकों की मौत भी शामिल है, जिन्होंने संदिग्ध जहरीली शराब का सेवन किया था। इसके अलावा बीमार 5 लोगों को इलाज के बाद

अस्पताल से छुट्टी दे दी गई । गिरफ्तार किए गये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, केवल एक आरोपी को छोडकर जिसने जहरीली शराब पी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

इसके अलावा, दयालु योजना के तहत अब तक 8 मृतकों के परिवारों/आश्रितों को 32 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं।

अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. इन मामलों में निष्पक्ष, तरीके से जांच की जा रही है।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष, 2023-24 के आबकारी नियमो के उल्लंघन मामले में मैसर्स महेंद्र सिंह, एल-13 लाइसेंसधारी, जिला यमुनानगर के विरुद्ध भी कार्रवाही शुरू की। कलेक्टर (आबकारी) द्वारा जारी आदेश पृष्ठांकऩ संख्या 3801/X-VI, पंचकुला दिनांक 20.11.2023, के तहत रुपये 2,51,00,000/- का जुर्माना लगाया गया, पृष्ठांकऩ संख्या 3853/ X-VI, पंचकुला दिनांक 22.11.2023 के तहत एल-13 लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिला यमुनानगर में मैसर्स महेंद्र सिंह के 11 जोन के एल-2/एल-14ए लाइसेंस, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 37 के प्रावधानों के अलावा कलेक्टर (आबकारी), हरियाणा के आदेश पृष्ठांकऩ संख्या 3869/ X-VI पंचकुला दिनांक 23.11.2023 के तहत रद्द कर दिए गए। इन 11 जोन को विभाग द्वारा नीलामी में पुनः आवंटित किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को जहरीली शराब की इस घटना से पहले राज्य भर में खुदरा दुकानों से 2193 नमूने लिए गए थे और 07.11.2023 के बाद अब तक कुल 2875 नमूने लिए गए हैं। आबकारी नीति 2023-24 के प्रारंभ (दिनांक 12.06.2023) होने से अब तक राज्य भर में कुल 5068 नमूने खुदरा शराब विक्रेताओं से लिए गए हैं।

अवैध एवं नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से की जाती रही है। जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	कुल अंकित अभियोग	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	बरामदगी (लीटर में/बोतल)		
			शराब (लीटर/बोतल)	अंग्रेजी शराब (लीटर/बोतल)	बियर (लीटर/बोतल)
2016	16263	18118	377778	549884	94967.8
2017	14536	15497	922958	761047	73910
2018	11532	12137	862914	702540	36592
2019	10476	10824	907575	923972	48104
2020	11220	13051	676546	567734	57918
2021	10562	11664	397946	355340	31939
2022	13408	13819	535320	320031	54753
2023)30 नवंबर तक(	9898	9733	642237	135932	25046

नोट:- दर्ज मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डेटा C.C.T.N.S पोर्टल से लिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रदेश में दिनांक 11.11.2023 से 14.12.2023 तक अवैध खुर्दा के विरूद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कुल पंजीकृत 1466 अभियोगों में 1463 गिरफ्तारियां की गयीं, जिसमें देशी बोतलें-43008, अंग्रेजी बोतलें-25419, बीयर बोतलें- 2057, लाहन-7895 लीटर व कच्ची शराब-939 बरामद की गयी। दिनांक 12.12.2023 को अभियान के अन्तगर्त एफआईआर संख्या 407 दिनांक 12.12.2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी व 61(1)(सी), 63ए, 72ए-4-20 एक्साइज एक्ट थाना धारूहेड़ा, रेवाडी दर्ज की गई। जिसमें ओल्ड मोंक बोतल-05, देशी शराब के पव्वे-13490, ओल्ड मोंक शराब बोतल कैपिंग मशीन, बोतल 500डीएस-08, कलर बोतल-12 लीटर, एक 65 लीटर ड्रम कास्टिक कारमेल स्प्रिंट घुलनशील जिसे मापने पर 10 लीटर पाया गया, केमिकल-10 लीटर, एक ड्रम में भरा हुआ आदि बरामद किया गया है और मामले की जांच के दौरान 13 ड्रम केमिकल, एक कैंटर, 306 पेटी शराब और 20000/- रूपये भी बरामद किये गये।

जहां तक विभिन्न जिलो में एल-1 एल-13 के गोदामो में कुल 75250 पेटियों की कमी का सवाल है, यहा यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग की सामान्य प्रक्रिया के तहत दिनांक 07.11.2023 से लेकर अब तक एल-1 लाइसेंसधारियों के 18 उल्लंघन के मामले और एल-13 लाइसेंसधारियों के 17 आबकारी नियमो के उल्लंघन के मामलों का पता लगाया है, जिसमें क्रमानुसार 9,914 पेटियां और 59,435 पेटियां कम पाए गईं। ऐसे मामलों में, जहां एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, विभाग द्वारा नियमित तौर पर आबकारी नीति के खंड 4.7 (जो एल-13 लाइसेंसधारियों से संबंधित है) व खंड 5.6 (जो एल-1 लाइसेंसधारियों से संबंधित है) के अनुसार सख्ती से जुर्माना लगाया जाता है।

हरियाणा में नशे की ओवर डोज से मौत के मामले बहुत कम हैं। पिछले 5 वर्षों में यानी 2017-2022 तक नशीली दवाओं के अधिक सेवन के कारण 34 मौतें हुई हैं।

जहां तक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अनियमितताओं का सवाल है, राज्य सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. **विशेष जांच दल का गठन**

इस मामले में अवगत करवाया जाता है कि आदेश संख्या 6/2/2020-2एच.सी. दिनांक 11.05.2020 के तहत, गृह विभाग, हरियाणा ने खरखौदा-मटिंडू रोड, सोनीपत, हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री टी.सी. गुप्ता, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत, अधिकारिता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) का गठन किया।

दिनांक 30.07.2020 को, विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें रिपोर्ट में उल्लिखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव/अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही/शुरु की गई,जिनका वर्णन नीचे वर्णित पैराग्राफ में किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जाए।

2. **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन** ।

विशेष जांच दल की रिपोर्ट के अनुवर्ती के रुप में, श्रीमति कला रामचन्द्रन, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी तथा श्री श्रीकांत जाधव, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी का गठन किया गया। 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

3. **आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाये गए कदम**

यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक को दिनांक 17.12.2020 को आरोप पत्र जारी किया गया है। इसी मामले में धीरेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध जिला सोनीपत में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 7 ए. ई. टी. ओ. के विरुद्ध भी हरियाणा सिविल सेवा (दंड औरा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए हैं तथा 1 ए. ई. टी. ओ. के विरुद्ध नियम 8 का आरोप पत्र जारी किया गया हैं जिन्होंने 27.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान परमिट स्वीकृत किए थे। इस अवधि में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। । इसके अलावा 15 आबकारी निरीक्षकों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए, जिन्होंने 27.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान शराब की दुकानों को परमिट और पास जारी किये थे, जबकि कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किये गये थे। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि जिला सोनीपत में अनुबंधित चपरासी सुनील कुमार कि सेवा को भी समाप्त कर दिया गया है। 15 में से 13 आबकारी निरीक्षकों के आरोप पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किये गये हैं। इन सभी मामलों में उचित दंड लगाए गए हैं जिनमें संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकना, 6% पेंशन राशि को स्थायी रूप से रोकना आदि शामिल हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने SET की सिफारिशों पर काम करते हुए व्यवस्थित सुधार के लिए सक्रिय रूप से अनेक गुणात्मक कदम उठाये हैं। विभाग ने अवैध शराब से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने हेतु भी अनेक कदम उठाये हैं।

1. डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों से अवैध शराब की आपूर्ति रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं -

क. राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं जिनको मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कक्ष से जोडा गया है। इन कैमरों से लाइव फीड मुख्य कार्यालय

के साथ-साथ जिला स्तर पर डीईटीसी को भी उपलब्ध कराई जा रही है। आबकारी नीति 2023-24 के खंड 12.3 के प्रावधानों के अनुसार एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारियों के परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा, शहरी दुकानों के प्रवेश, निकास व बिलिंग काउंटरों और अहातों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं।

ख. डिस्टिलरी के साथ-साथ बॉटलिंग प्लांट में भी प्रवाह (फ्लो) मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में डिस्टिलरी नियमों में भी जरूरी बदलाव किये गए हैं और विभाग द्वारा प्रवाह (फ्लो) मीटरों से संबंधित मानक भी तय कर दिये गए हैं।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि स्प्रिट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जीपीएस युक्त हों और इन वाहनों में ई-लॉक प्रणाली की भी व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्प्रिट ले जाने वाले ऐसे वाहनों के सभी आउटलेट पर टैम्प्रूफ सील लगाई जाए। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं.

घ. आबकारी नीति 2023-24 के खंड 12.1 के तहत शराब की बोतल पर हॉलोग्राम लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी उत्पादकों के लिए अपने परिसर से अंग्रेजी व देसी शराब आपूर्ति से पूर्व सभी बोतलों पर हॉलोग्राम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ-साथ विभाग ने 12.12.2023 से पायलट आधार पर राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू. आर. कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि अति सुरक्षा युक्त हॉलोग्राम लगी अंग्रेजी व देसी शराब आपूर्ति की पूरी कडी की निगरानी की जाये।

2. विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए नियमित रूप से शराब के ठेको की जाँच की जाती है। राजस्व हानि को रोकने के लिए आबकारी नीति 2023-में अवैध शराब की बिक्री से 24 संबंधित कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ विभाग द्वारा की गई त्वरित और कड़ी कार्रवाई से शराब लाइसेंसधारियों द्वारा कोटा उठाने में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्कअतिरिक्त , आबकारी शुल्क व परमिट शुल्क के रूप में सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। वर्तमान आबकारी नीति वर्ष, 2023-24 में दिनांक 12.06.2023 से 20.11.2023 की अवधि के लिए आबकारी राजस्व पिछले आबकारी नीति वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.70% बढ़ गया हैजो कि विभाग द्वारा , आबकारी नीति को सही ढंग से लागू करने का नतीजा है।

अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए अधिकांश शराब के ठेकों पर बिल जारी करने हेतु प्वांइट आफॅ सेल (POS) मशीनें लगाई गई हैं। बाकी बचे ठेकों पर मशीनें न लगाने को लेकर आबकारी नीति के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि वो भी इस प्रावधान का पालन करें।

अवैध और नकली शराब को रोकने के लिए हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। धारा 61 के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है. इसके अलावा, मार्च, 2020 में संशोधन

के माध्यम से धारा 72ए पेश की गई, जिसमें हानिकारक दवा या विदेशी घटक वाली शराब के कारण मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हॉलोग्राम तथा डिस्टिलरी व ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे संबंधी आदर्श प्रणाली (SOP) की पालना नहीं हो रही। जैसा की ऊपर वर्णन किया गया है आबकारी नीति, वर्ष 2023-24 में हॉलोग्राम अनिवार्य किया गया है, तथा डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं जिनको मुख्यालय स्थित एकीकृत नियंत्रण कक्ष से जोडा गया है, एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारियों के परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। सही मायने में विभाग द्वारा सक्रिय रूप से नये कदम उठाये गए हैं जो कि राज्य के सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू. आर. कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने से साबित होता है।

4. **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई जांच**

मुख्य सचिव सरकार कार्यालय के आदेश पत्रांक 33/26/2020-3Vig(1) दिनांक 31.08.2020 के अनुपालन में द्वारा सूचित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा में जांच संख्या 04 दिनांक 01.09.2020 दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान शराब की बड़ी अनधिकृत आवाजाही में कुछ आबकारी एंव कराधन विभाग अधिकारियों के साथ-साथ कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जांच की जाएगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

इस राज्यव्यापी जांच के दौरान, एसीबी ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अभियोगों के विवरण सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड एकत्र किए हैं। इसके अलावा, एसीबी ने अब तक की पूछताछ के दौरान शराब ठेकेदारों, आबकारी एंव कराधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों और डिस्टिलरी, ब्रुअरीज और बॉटलिंग प्लांट से संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान पूरे मामले में उनकी विशिष्ट भूमिका के साथ की जा सके।

दिनांक 16.12.2023 के पत्र संख्या 21042/आई-1/एसीबी(एच) पंचकुला द्वारा प्राप्त उपरोक्त जांच की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी ने कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं जो अभी भी आबकारी एंव कराधन विभाग तथा अन्य विभागों से वांछित हैं। रिकार्ड मिलते ही अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

एसीबी द्वारा आगे सूचित किया गया है कि इस मामले में कई सीडब्ल्यूपी माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं।

****